14

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

चौदहवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

चौदहवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

07.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
07.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना..... (iv)

प्राक्कथन..... (v)

अध्याय- एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय- दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है	19
अध्याय- तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार से प्राप्त उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती...	33
अध्याय- चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं	40
अध्याय –पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं	41

परिशिष्ट

(I) समिति की 01.12.2021 को हुई बैठक ---------का कार्यवाही सारांश 43

(II) समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण 45

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की संरचना:-

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय, सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
4. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
5. श्री जी.एस. बसवराज
6. सुश्री देबाश्री चौधरी
7. श्री सन्नी देओल
8. श्री अनिल फिरोजिया
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
11. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा
12. श्री भगवंत मान
13. श्री खगेन मुर्मु
14. श्री मितेष पटेल (बकाभाई)
15. श्री सुब्रत पाठक
16. श्रीमती हिमाद्री सिंह
17. श्रीमती कविता सिंह
18. श्री नंदीगम सुरेश
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री राजमोहन उन्नीथन
21. श्री वी. वैथिलिंगम

<u>राज्य सभा</u>

22. श्री सतीश चंद्र दुबे
23. श्रीमती रूपा गांगुली
24. श्री के.जी. केन्ये
25. डॉ. फौजिया खान
26. श्री हिशे लाचुंग्पा
27. श्री राजमणि पटेल
28. श्री सकलदीप राजभर
29. डॉ. अंबुमणि रामादास
30. श्री रामजी
31. श्री जी.के. वसन

<u>लोक सभा सचिवालय</u>

1.	श्री पवन कुमार	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. वत्सला जोशी	-	निदेशक
3.	श्रीमती दर्शना गुलाटी खण्डूजा	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) के संबंध में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई का संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. नौवां प्रतिवेदन 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया । सरकार ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण दर्शाने वाले उत्तर 17 जून , 2021 को भेजे ।

3. समिति ने 01.12.2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

4. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण **परिशिष्ट II** में दिया गया है ।

5. संदर्भ सुविधा हेतु, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
01 दिसंबर, 2021
10 अग्रहायण, 1943 (शक)

सुदीप बंदोपाध्याय
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

अध्याय-एक

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगें (2021-22) के संबंध में समिति (17 वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है।

1.2 नौवां प्रतिवेदन 19 मार्च, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन में 12 टिप्पणियां/सिफारिशे अंतर्विष्ट हैं । प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 12 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार से की गई कार्रवाई उत्तर प्राप्त हो गए हैं और इनका श्रेणीकरण निम्नवत् रूप से किया गया है-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

पैरा सं. : 4.13, 4.22, 4.29. 5.6, 5.33, 6.8 और 6.14

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

पैरा सं. : 1.4, 3.3, 5.12 और 5.34

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

पैरा सं. : शून्य

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित हैं

पैरा सं. : 5.25

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई–कार्रवाई टिप्पण यथाशीघ्र समिति को भेजे जाएं।

1.4 अब समिति अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी ।

क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद योजना(डीसीपी) को अपनाए जाने की आवश्यकता

सिफारिश सं. 3 (पैरा सं. 4.13)

1.5 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि अपने आरंभ से 23 वर्ष के पश्चात् भी विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) को 9 राज्यों में गेहूँ और 16 राज्यों में चावल के लिए अपनाया गया है। समिति महसूस करती है कि डीसीपी योजना उन सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगरता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि डीसीपी योजना राज्यों को अधिदेशित नहीं है किंतु विभिन्न लाभों को देखते हुए और परंपरागत राज्यों में खरीद को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मार्गस्थ हानियों और लागत को बचाने की दृष्टि से समिति चाहती है कि सरकार डीसीपी योजना को अपनाने के लिए शेष राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कठोर कदम उठाए ताकि वितरण की लागत को कम किया जा सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देश की गरीब जनता तक पहुँच सके। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग/एफसीआई को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) मोड में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक अवसंरचना सृजित करनी चाहिए।"

1.6 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है और डीसीपी मोड को अपनाने के लिए गैर-डीसीपी राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। अब तक 16 राज्यों ने चावल के लिए डीसीपी मोड अपनाया है और 9 राज्यों ने गेहूं के लिए डीसीपी मोड अपनाया है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि 22 राज्यों से केएमएस 2019-20 में 519.97 लाख टन चावल की खरीद की गई थी, जिसमें से 16 राज्यों से 519.03 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। इन 16 राज्यों में से, 12 राज्यों ने डीसीपी प्रणाली के तहत चावल की खरीद की।

इसी प्रकार, 10 राज्यों से आरएमएस 2020-21 में 389.93 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसमें से 8 राज्यों से 389.78 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। इन 8 राज्यों में से, 6 राज्यों ने डीसीपी प्रणाली के तहत गेहूं की खरीद की थी।"

1.7 विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी), जो 1997-98 में स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ देने और प्रापण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, की प्रगति से संतुष्ट नहीं होने के कारण, समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीसीपी योजना अपनाने के लिए, प्रेरित करने हेतु ठोस कदम उठाने की इच्छा व्यक्त की। विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया कि अब तक 16 राज्यों ने चावल की खरीद के लिए डीसीपी प्रणाली को अपनाया है और 9 राज्यों ने गेहूं के लिए डीसीपी प्रणाली को अपनाया है। अनेक कदम उठाने के अलावा, समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि सरकारी-निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणाली में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ समन्वय से आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए, लेकिन समिति ने पाया कि सरकार अपने उत्तर में इस पहलू पर पूरी तरह से मौन है। समिति विभाग को आगाह करती है कि वह भविष्य में उनकी सिफारिशों के पूर्ण उत्तर दें।

विभाग द्वारा की गई नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की सराहना करते हुए, समिति आशा करती है कि विभाग डीसीपी योजना को अपनाने के लिए, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रेरित/प्रोत्साहित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाएगा जिससे कि देश में खाद्य सब्सिडी बिल को बढ़ने से रोकने के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालन की दक्षता में काफी वृद्धि होगी।

क. आधार सीडिंग और उचित दर दुकान स्वचालन से सम्बंधित मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता

सिफारिश सं. 5 (पैरा सं. 4.29)

1.8 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति नोट करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यकरण में किए गए सुधारों को बनाए रखने के लिए विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (आईएम-पीडीएस) आरंभ किया है। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओनईआरसी) की योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न के संवितरण में राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी आरंभ करना है, अर्थात् एनएफएसए के तहत कवर पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) से अपने हकदार के खाद्यान्न को प्राप्त कर सकेंगे। अब तक **32** राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ग्रिड में शामिल हो चुके हैं। तथापि, समिति नोट करके चिंतित है कि असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में ई-पीओएस पर कोई एफपीएस चालू नहीं है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य जिसने पहले ही शत-प्रतिशत एफपीएस स्वचालन प्राप्त कर लिया है, उसने बायोमेट्रिक लेनदेन शुरू नहीं किया है। समिति चाहती है कि असम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आधार सीडिंग और एफपीएस स्वचालन के मुद्दे का सर्वोच्च स्तर पर समाधान किया जाए ताकि ऐसे राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य जल्द से शीघ्रातिशीध्र ओनओआरसी योजना के तहत साकार किया जा सके।"

1.9 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जनवरी, 2018 में सभी उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण स्थापित करने का काम पूरा कर लिया था। बाद में कुछ माह के लिए लाभार्थियों के बायोम्रैट्रिक/आधार प्रमाणन सहित इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण को सफलता पूर्वक चलाने के उपरांत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अपने प्रचालनों में तकनीकी (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) की समस्याओं का उल्लेख करते हुए अप्रैल, 2018 में सभी उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण के उपयोग को निलंबित कर दिया था। इसके उपरांत से यह विभाग नियमित बैठकें/वीसी, सभी स्तरों पर पत्र/अ.शा. पत्र भेजने आदि के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ खाद्यान्नों के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण आधारित वितरण को बहाल करने के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। इस विभाग ने यह उनके सिस्टम इंटिग्रेटर/वेंडर के साथ समन्वय करने के अलावा उनके हार्डवेयर और साफ्टवेयर संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय एनआईसी के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आवश्यक

तकनीकी सहायता भी प्रदान की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नए इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण की आपूर्ति की जाए। इन सतत प्रयासों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल में इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ उचित दर दुकानों में पायलट आधार पर इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल आधारित वितरण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से औपचारिक सूचना और कार्य योजना प्राप्त होनी है।

पश्चिम बंगाल में, सभी उचित दर दुकानों पर पहले ही इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण लगा दिए गए हैं लेकिन जहां तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का संबंध है लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणन बहुत कम (एक प्रतिशत से कम) है। यह विभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल पर लगातार जोर दे रहा है कि वह अपने प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू करे लेकिन राज्य ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड लागू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन के संबंध में काम नहीं कर रहा है। राज्य आधार आधारित बायोंमेट्रिक प्रमाणन और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू करने के लिए इन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरणों को बदल रहा है। इन सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य ने सूचित किया है कि अगले कुछ माह में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण को बदले जाने की संभावना है और इसके बाद सभी उचित दर दुकानों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू हो जाएगी।

जहां तक राशन कार्डों की आधार सीडिंग का संबंध है, उल्लेख किया जाता है कि राज्ष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन 92% से अधिक राशन कार्डों की आधार सीडिंग कर दी गई है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 99% से 100% सीडिंग कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 8% से कम का आधार सीडिंग का अंतर मुख्य रूप से बहुत कम आधार बनाए जाने के कारण है और असम तथा मेघालय में फिलहाल क्रमशः लगभग 18% और 16.5 % सीडिंग हुई है। इस संबंध में यह विभाग यूआईडीएआई और राज्य सरकारों पर लगातार जोर दे रहा है कि लोगों के आधार नामांकन/सृजन में तेजी लाएं और इसके बाद राशन कार्डों के साथ आधार सीडिंग बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त विभाग राशन कार्डों की आधार सीडिंग

को शीघ्र पूर्ण करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (राशन कार्ड में 80% आधार सीडिंग वाले) पर लगातार जोर दे रहा है।

इसके अलावा यह उल्लेख किया जाता है कि अब तक अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों सहित 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है, जिसमें देश में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (86% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी) कवर की जा रही है और फिलहाल मासिक आधार पर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अधीन महत्वपूर्ण रूप से पोर्टेबिलिटी लेनदेन (राज्य के भीतर और अंतर-राज्य) रिकार्ड किए जा रहे हैं। यह विभाग शेष चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) के एकीकरण के लिए गहन प्रयास कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी तैयारियों पर निर्भर करते हुए अगले कुछ माह में एकीकरण करने का लक्ष्य है।"

1.10 अपने मूल प्रतिवेदन में, समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि विभाग असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में आधार सीडिंग और उचित दर की दुकानों के स्वचालन से संबंधित मुद्दों को सुलझाए। विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया कि वह शेष 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़) के एकीकरण के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। समिति, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, यह चाहती है कि वह इन राज्यों को राशन कार्डों के आधार सीडिंग को तेजी से पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन राज्यों में उन ई-पीओएस उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जाए, जो आधार आधारित बायो-मीट्रिक प्रमाणीकरण करने में समर्थ नहीं हैं। समिति यह भी चाहती है कि जहां भी आवश्यक हो, इन राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कराई जाए। समिति चाहती है की उसे इस संबंध में तैयार की गई भावी कार्य योजना से भी अवगत कराया जाए।

ख. विभिन्न मंत्रालयों के विरुद्ध एफसीआई के बकायों के शीघ्र भुगतान की आवश्यकता

सिफारिश सं. 6 (पैरा सं. 5.6)

1.11 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति नोट करके चिंतित है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष बकाया

राशि 2454.03 करोड़ रुपये है। समिति को सूचित किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के विरूद्ध बकाया राशि क्रमश: 306.26 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय के विरुद्ध बकाया राशि 67.92 करोड़ रुपये है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मामले में मंत्रालय द्वारा देय राशि के लिए 400 करोड़ रुपये का 'रिवाल्विंग फंड' उपलब्ध कराया गया। समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसमें मंत्रालयों को भुगतान करना होता है (अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण योजना (एसजीआरवाई) योजना के तहत ग्रामीण रोजगार योजना योजना के लिए) जबकि मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना में भुगतान की विकेंद्रीकृत योजना के तहत बाद के महीनों में बिल जमा करने के बाद भुगतान करने के लिए 20 दिन की समय सीमा होती है लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। समिति पाती है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ लगातार उठा रहा है लेकिन पिछले अनेक वर्षों से भारी राशि अभी भी बकाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखते हुए कि भारतीय खाद्य निगम की स्वयं एक बड़ी ऋण देयता है और उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, समिति इस गंभीर चिंता पर ध्यान देती है जिससे खाद्य सब्सिडी बिल बढ़ जाता है। समिति एक बार पुन: विभाग/भारतीय खाद्य निगम से आग्रह करती है कि वह समयबद्ध तरीके से ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास और विदेश मंत्रालयों के साथ बकाया राशि के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि लगातार बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल पर अनावश्यक बोझ डालने से बचा जा सके। "

1.12 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

" खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम द्वारा एफसीआई की बकाया देयताओं को समाप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ दिनांक 25.07.2018 और 28.12.2018 को बैठक आयोजित की हैं और इन विभागों को दिनांक 17.01.2019, 11.02.2019, 28.03.2019, 05.07.2019 और 17.11.2020 के पत्र के माध्यम से बकाया देयताओं के भुगतान में तेजी लाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 06.05.2021 के पत्र के जरिए विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं का शीघ्र भुगतान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है। संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध करते समय, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत छठी और सातवीं रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस मामले पर चिंता व्यक्त है।

भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.03.21 की स्थिति के अनुसार):

मंत्रालय	**राशि (करोड़ में)**	**मद**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	2454.03*	वर्ष 2001-02 से 07-08 के दौरान एसजीआरवाई स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करना
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	255.45	मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएस) के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति
विदेश मंत्रालय	60.43	वर्ष 2004-2012 के दौरान अफगानिस्तान को बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को गेहूं जारी करना
केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एसटीसी, बीएसएनएल, पीईसी, एमएमटीसी	271.92	बीएसएनएल को टॉवर किराए पर देना, नेफेड आदि को तूर दाल जारी करना
महाराष्ट्र, त्रिपुरा जैसे राज्य सरकार	206.55	पूर्वोत्तर क्षेत्र को खाद्यान्न
रक्षा मंत्रालय	0.42	रक्षा के लिए खाद्यान्न
योग	3248.80	

* ग्रामीण विकास मंत्रालय स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आपूर्ति करने के लिए 221.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, जिसका भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे ही किया जाना है।"

1.13 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में नोट किया था कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय पर क्रमश: 2454.03 करोड़ रुपये, 306.26 करोड़ रुपये और 67.92 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। समिति ने तदनुसार, विभाग/एफसीआई को विभिन्न मंत्रालयों पर बकाया राशि का शीघ्र निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की। अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, सरकार ने बताया कि विभाग मामले पर कार्रवाई कर रहा है और उसने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ, कई बैठकें आयोजित भी की हैं और बकाया राशि के परिसमापन में तेजी लाने के लिए उनसे बार-बार अनुरोध किया है। समिति नोट करती है कि ऐसे सभी प्रयासों के बावजूद, अभी भी एक बड़ी राशि अर्थात 3248.80 करोड़ रुपये विभिन्न मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, राज्य सरकारों/रक्षा मंत्रालय पर बकाया हैं। समिति का मत है कि बकाया राशि के समय पर परिसमापन से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी भी योजना की समग्र प्रभावकारिता में निश्चित रूप से सुधार होगा। समिति इसलिए अपनी सिफारिश को दोहराती है और यह चाहती है कि विभाग खाद्य सब्सिडी को कम करने के लिए बकाया देय राशि के शीघ्र परिसमापन हेतु मामले को उच्चतम स्तर पर उठाए।

ग. गोदामों के निर्माण हेतु वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता

सिफारिश सं. 8 (पैरा सं. 5.25)

1.14 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी कि:

"समिति यह नोट कर चिंतित है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020-21 (31.01.2021 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 मीट्रिक टन था लेकिन इस मामले में उपलब्धि शून्य थी। जहां तक वित्तीय लक्ष्य का संबंध है, यह 25 करोड़ रुपये था लेकिन इसकी उपलब्धि केवल 13.64 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के लिए वास्तविक लक्ष्य 6220 मीट्रिक टन था लेकिन इसकी उपलब्धि शून्य थी। वित्तीय लक्ष्य 15 करोड़ रुपये था लेकिन इसकी उपलब्धि केवल 3.07 करोड़ रुपये थी। समिति ने यह भी नोट किया कि जहां तक जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और लक्षद्वीप में गोदामों के निर्माण का संबंध है, केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-22) में,

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को बढ़ाने/निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति यह भी पाती है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा 13.75 एलएमटी साइलो का निर्माण पूरा किया गया है और 21.5 एलएमटी पर काम चल रहा है। समिति आशा करती है कि भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार निश्चित रूप से भविष्य में गोदामों/साइलो के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रोड मैप में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप को शामिल करेगी। समिति चाहती है कि विभाग/भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के संबंध में चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास करे। समिति की राय में इन राज्यों में पर्याप्त भंडारण क्षमता होना इन राज्यों के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने के लिए पूर्व-अपेक्षित है। समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण में भारतीय खाद्य निगम के समक्ष आने वाली समस्या को समझती है जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्र, बार-बार बंद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब मौसम के संबंध में लगातार बंद और मुद्दों के कारण होती है जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग इस मामले को उच्चतम स्तर पर राज्यों/केंद्रों के साथ उठाए ताकि गोदामों के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने से जुड़े हरेक मुद्दे का समाधान किया जाए जिससे भंडारण की समस्या को दूर किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न भागों में मिनी गोदाम बनाए जाने चाहिए।"

1.15 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020-21 के दौरान (दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार) पूर्वोत्तर राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 टन था लेकिन इस संबंध में उपलब्धि शून्य थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर में 5 स्थानों पर गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। धेमाजी/आर्किपाथेर 20000 टन का कार्य 99% पूरा हो गया था और अप्रैल/मई 2021 में हस्तांतरित किए जाने की संभावना है। असम राज्य में चुनाव होने के कारण इसमें देरी हुई थी। जहां तक वित्तीय लक्ष्य का संबंध है, वह 25 करोड़ रूपए था परंतु दिनांक 31.03.2021 तक 29.70 करोड़ रूपए की उपलब्धि हुई थी।

इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के लिए, वास्तविक लक्ष्य 6220 टन था परंतु उपलब्धि शून्य थी। वित्तीय लक्ष्य 15 करोड़ रूपए था पर दिनांक 31.03.2021 तक उपलब्धि केवल 4.98 करोड़ रूपए थी।"

1.16 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में विभाग/एफसीआई से गोदामों के निर्माण के संबंध में चल रही परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने का आग्रह किया क्योंकि एफसीआई वर्ष 2020-21। के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों में गोदामों के निर्माण हेतु निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, असम राज्य में चुनावों को वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त न करने का कारण बताया है। लेकिन उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा, अन्य राज्यों में गोदामों के निर्माण के संबंध में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर की-गई-कार्रवाई उत्तर मौन है। समिति चाहती है की उसे इसके कारणों से अवगत कराया जाए। समिति ने भंडारण की समस्या के समाधान हेतु, देश के विभिन्न भागों में गोदाम और मिनी गोदाम बनाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, प्रत्येक मुद्दे को हल करने हेतु उसे उच्च अधिकारियों के साथ उठाने के लिए मूल प्रतिवेदन में की गई अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है।

घ. भण्डारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने की आवश्यकता

सिफारिश सं. 9 (पैरा सं. 5.33)

1.17 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भंडारण और परिवहन में नुकसान अभी भी बहुत अधिक अर्थात क्रमश: 95.78 करोड़ रुपये और 362.94 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2020 तक) है। समिति महसूस करती है कि भंडारण हानि के मुद्दे पर सरकार की ओर से नियमित निगरानी के साथ-साथ फील्ड में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किए जाने वाले की आवश्यकता होती है। समिति की राय में भंडारण हानि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। नुकसान में और वृद्धि न हो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। समिति महसूस करती है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाद्य सब्सिडी पर भारतीय खाद्य निगम भारी राशि खर्च कर रहा है और उन्हें अनौचित्यपूर्ण नुकसान के लिए जवाबदेही से बचने का अवसर नहीं देना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम को परिचालन हानि और अन्य ओवरहेड्स को नियंत्रित करके परिचालन लागत को कम करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। समिति की इच्छा है

कि नुकसान को कम करने के लिए जोरदार प्रयास किए जाएं ताकि निर्धनतम लोगों के लिए निर्धारित धनराशि वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे और खाद्य सब्सिडी बिल को और बढ़ने से रोका जा सके। "

1.18 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"**भंडारण हानिः**

अप्रैल से दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए भंडारण हानि का आंकड़ा -95.78 करोड़ रुपये था, जो वास्तव में समूची भार वृद्धि है और यह हानि नहीं है क्योंकि (-) आंकड़ा भार वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समूची हानियां (वास्तव में भार वृद्धि) वृद्धि का रुझान दर्शा रही हैं जिसे पिछले चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और धान) के लिए भंडारण हानियों के ब्यौरों से देखा जा सकता है। जो नीचे सारणी में दिए गए हैः-

वर्ष	**जारी की गई मात्रा (लाख टन में)**	**हानि की मात्रा (लाख टन में)**	**हानि का %**	**हानि का मूल्य (करोड़ रूपए में)**
2017-18*	913.30	-1.10	-0.12	-140.76
2018-19*	918.12	-1.31	-0.14	-175.97
2019-20*	868.50	-1.17	-0.14	-171.37
2020-21** (मार्च, 21 तक)	1193.03	-1.45	-0.12	-226.55

1 *लेखापरिक्षित आंकड़े दर्शाता है और ** अनंतिम आंकड़े दर्शाता है।

2 (-) घटा का चिन्ह भार वृद्धि दर्शाता है, कीमत की गणना 2220.75 रुपये प्रति क्विंटल (गेहूँ) और 3162.73 रुपये प्रति क्विंटल (चावल) की दर पर 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए अधिग्रहण लागत पर की गई है।

यह भी देखा जा सकता है कि यद्यपि 2020-21 के दौरान समूची अन्तिम भंडारण भार वृद्धि 0.12% है लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए विशेष आवंटनों के अधीन निपटान की अधिक मात्रा के कारण कीमत अधिक है।

मार्गस्थ हानियां

इसी प्रकार मार्गस्थ हानियों के मामले में सुधार का रुझान भी है और प्रतिशत के रूप में समूची हानियों में गिरावट आ रही है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान मार्गस्थ हानियां की अधिक कीमत कोविड-19 महामारी को देखते हुए बढ़ाए गए विशेष आवंटनों की आवश्यकता पूरी करने और खरीद वाले क्षेत्रों में नई खरीद को रखने/भंडारण करने के लिए पहले खरीदे गए अधिशेष स्टॉक को हटाने के लिए भी अधिक मात्रा में संचलन करने के कारण है। पिछले 4 वर्ष के लिए मार्गस्थ हानियों का रुझान निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**भेजी गई मात्रा (लाख टन में)**	**हानि की मात्रा (लाख टन में)**	**हानि का %**	**हानि का मूल्य (करोड़ रूपए में)**
2017-18*	456.72	1.12	0.25	286.40
2018-19*	414.99	1.03	0.25	276.85
2019-20*	409.58	0.94	0.23	257.92
2020-21** (मार्च, 21 तक)	538.55	1.50	0.28	431.23

1 *लेखापरिक्षित आंकड़े दर्शाता है और ** रेल मार्गस्थ हानियों के अनंतिम आंकड़े दर्शाता है।

2 कीमत की गणना 2220.75 रुपये प्रति क्विंटल (गेहूँ) और 3162.73 रुपये प्रति क्विंटल (चावल) की दर पर 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए अधिग्रहण लागत पर की गई है।

भंडारण और मार्गस्थ हानियां नियंत्रित करने के लिए कृत कार्रवाईः

प्रत्येक मासिक कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकों में भंडारण और मार्गस्थ हानियों की स्थिति की समीक्षा की जाती है और कार्यकारी निदेशको द्वारा मुख्यालय/आंचलिक स्तर पर तथा महाप्रबंधकों द्वारा

क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। तदनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दिए जाते हैं कि अधिक भंडारण और मार्गस्थ हानियों के मामलों को दर्शाने वाले डिपुओं के निरीक्षणों में तेजी लाएं और अनुचित हानियों के लिए चूककर्ताओं के अनुसार कार्रवाई करें।

इसके अलावा भंडारण और मार्गस्थ हानियों को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैः-

(क) भंडारण हानियों को नियंत्रित/न्यूनतम करने हेतु उठाए गए कदम:

- स्टॉक का आवधिक रोगनिरोधक और रोगहर उपचार किया जाता है, जैसे कि निर्धारित किया गया हो और समय-समय पर मानसून पूर्व प्रधुमन किया जाता है।
- खरीद के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्तता जांच सुनिश्चित की जाती है।
- गोदामों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री दीवारों को कंटीले तारों की बाड़ लगाना, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान व शेड की उचित लॉकिंग जैसे भौतिक उपाय किए जाते हैं।
- निगरानी और बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी एफसीआई के स्वामित्व वाले डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- भारतीय खाद्य निगम का सिक्योरिटी स्टाफ, होमगार्ड, डीजीआर प्रायोजित एजेंसी और विशेष पुलिस अधिकारी और राज्य सशस्त्र पुलिस स्टाक की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती हैं।
- सुरक्षा त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं के सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच की जाती है।
- जहां कहीं अनुचित हानि पाई जाती है, चूक कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित/न्यूनतम करने हेतु उठाए गए कदम:

- मार्गस्थ हानियों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु प्रवृत्ति की निकटता से निगरानी करने और प्रभावी कदम उठाने के लिए संबंधिक कार्यकारी निदेशक (आंचल)/महा प्रबंधक (क्षेत्र) के साथ यह मामला निरंतर उठाया जा रहा है और अधिक मार्गस्थ हानियों को दर्शाने वाले डिपुओं की गहन निगरानी करके उनमें कमी लायी जाती है।

- बिखरे हुए अनाजों की पुनः प्राप्ति के लिए रेलवे के वैगनों के फर्श पर पोलीथीन की शीट बिछाना शुरू किया गया है ताकि परिवहन के दौरान बिखराव के कारण होने वाले हानि को न्यूनतम किया जा सके।
- अधिक मार्गस्थ हानियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अधिक मार्गस्थानियों के संयुक्त निरीक्षण के बारे में 'एसओपी' लागू किया गया है।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन जांच किए जाने हेतु पारेषण और प्राप्ति केन्द्रों पर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाती है।
- चयनित रेलहेड तथा गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों पर विशेष दस्ते द्वारा जांच की जा रही है।
- रेकों के लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय स्वतंत्र पारेषण प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) का तैनाती की जा रही है।
- स्टॉक की प्राप्ति तथा जारी करते समय इसका उचित वजन तथा भार सुनिश्चित किया जाता है।

जब भी असामान्य/अनौचित्यपूर्ण परिवहन हानि सूचित की जाती है तो दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।"

1.19 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में भंडारण और पारगमन हानियां, जो बहुत अधिक थीं, को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया कि भंडारण और पारगमन हानियों को नियंत्रित/न्यूनतम करने के लिए, अनेक कदम उठाए गए हैं और भंडारण और पारगमन हानियों की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक मासिक कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठक में की जाती है और मुख्यालय/जोन/क्षेत्रीय स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है और तदनुसार, अधिक भंडारण और पारगमन हानियों को दिखाते हुए गोदामों में निरीक्षण तेज कर दिया गया है। लेकिन समिति महसूस करती है कि पारगमन हानि अभी भी बहुत अधिक है और स्थिति की बारीकी से निगरानी करके और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करके इसे और कम किया जा सकता है। समिति ने मूल प्रतिवेदन में अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराते हुए इच्छा व्यक्त की कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

ङ. गन्ना मूल्य बकायों को कम करने की आवश्यकता

सिफारिश सं. 12 (पैरा सं. 6.14)

1.20 समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:

"समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि आज की तारीख में, कुल 19258 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है जिसमें 2020-21 चीनी मौसम के लिए 16883 करोड़ रुपये, 2019-20 चीनी मौसम के लिए 1766 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 410 करोड़ रुपये और चीनी मौसम के लिए 199 करोड़ रुपये और 2017-18 तथा इससे पहले के मौसम के लिए 199 करोड़ रुपये शामिल हैं। समिति नोट करती है कि हालांकि किसानों द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। चीनी मौसम 2017-18 और उससे पूर्व का बकाया गन्ना मूल्य अभी भी बकाया है, फिर भी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के प्रावधान के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज दर सहित गन्ना बकाया की वसूली के लिए चीनी मिलों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गन्ना मूल्य बकाया को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे कि 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत इथेनॉल आदि को मिलाने के, लेकिन काफी अधिक राशि अभी भी लंबित हैं। अत; समिति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से पुरजोर आग्रह करती है कि वह राज्य सरकार को मनाए कि वह सभी बकाया गन्ना मूल्य बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करे ताकि गन्ने कि खेती कम न हो जिससे कि सरकार को आयात का सहारा नहीं लेना पड़े और भविष्य में विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा सके ।"

1.21 मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया कि:

"दिनांक 14.06.2021 की स्थिति के अनुसार, किसानों को भुगतान के लिए 18367 करोड़ रूपए गन्ना बकाया मूल्य देय है। इस राशि में, चीनी मौसम 2020-21 के लिए 15869 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2019-20 के लिए 213 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2018-19 के लिए 403 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2017-18 के लिए 193 करोड़ रूपए और 2016-17 तथा पूर्व के चीनी मौसमों के लिए 1689 करोड़ रूपए शामिल हैं।

चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को सुधारने और किसानों को गन्ना बकाया देयता का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए, केन्द्र सरकार ने पिछले दो चीनी मौसमों और मौजूदा चीनी मौसम के दौरान विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, किसानों के अखिल भारतीय गन्ना बकाया मूल्यों में कमी आई है। पिछले दो चीनी मौसमों के लिए भुगतान किए जाने वाले गन्ना बकाया, भुगतान की गई देयताओं और बकाया की स्थिति निम्नानुसार है:-

करोड़ रूपए में

	चीनी मौसम 2018-19	**चीनी मौसम 2019-20**
भुगतान के लिए गन्ना देयता	86723	75845
भुगतान की गई देयता	86320	75632
गन्ना बकाया	403	213

इसके अतिरिक्त, सरकार समय-समय पर राज्यों के साथ बातचीत कर रही है ताकि किसानों की गन्ना देयताओं का निपटान करने के प्रयास किए जा सकें, क्योंकि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियां पहले ही राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और वे चूककर्ता चीनी मिलों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।"

1.22 अपने मूल प्रतिवेदन में, समिति ने नोट किया कि कुल 19258 करोड़ रु. की गन्ना बकायेदारी शेष थी जिसमें से 2020-2021 के चीनी मौसम के लिए 16883 करोड़ रु., 2019-2020 के चीनी मौसम के लिए 1766 करोड़ रु., 2018-2019 चीनी मौसम के लिए 410 करोड़ और 2017-2018 तथा उससे पहले के चीनी मौसमों के लिए 199 करोड़ रुपए शामिल थे। समिति ने सरकार से सभी राज्य सरकारों को उन पर बकाया गन्ना मूल्य चुकाने हेतु मनाने हेतु तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में बताया कि 14.06.2021 की स्थिति के अनुसार, किसानों को गन्ना मूल्य बकाया के रूप में 18367 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में, सुधार लाने और उन्हें किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने पिछले दो चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम में विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, किसानों के कुल गन्ना मूल्य बकाया में कमी आई है। 2018-2019 के चीनी मौसम के लिए, गन्ना मूल्य बकाया, जो 410 करोड़ रुपये था, घटकर 403 करोड़ रुपये रह गया है और 2019-2020 के चीनी मौसम के लिए जो 1766 करोड़ रुपये था, घटकर 213 करोड़ हो गया है। समिति ने विभाग से ईमानदारी से प्रयास जारी रखने का आग्रह किया ताकि शेष वर्षों के लिए गन्ना मूल्य बकाया भी न्यूनतम स्तर पर आ

जाए और आगे न बढ़े। समिति यह भी चाहती है कि उसे चीनी मिलों के बकाया भुगतान में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण मिलने के प्रभाव से अवगत कराया जाए।

अध्याय दो

सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (पैरा सं. 4.13)

2.1 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि अपने आरंभ से 23 वर्ष के पश्चात् भी विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी) को 9 राज्यों में गेहूँ और 16 राज्यों में चावल के लिए अपनाया गया है। समिति महसूस करती है कि डीसीपी योजना उन सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कारगरता बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि डीसीपी योजना राज्यों को अधिदेशित नहीं है किंतु विभिन्न लाभों को देखते हुए और परंपरागत राज्यों में खरीद को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ मार्गस्थ हानियों और लागत को बचाने की दृष्टि से समिति चाहती है कि सरकार डीसीपी योजना को अपनाने के लिए शेष राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कठोर कदम उठाए ताकि वितरण की लागत को कम किया जा सके और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देश की गरीब जनता तक पहुँच सके। इसे प्राप्त करने के लिए विभाग/एफसीआई को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) मोड में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक अवसंरचना सृजित करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

2.2 इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और डीसीपी मोड को अपनाने के लिए गैर-डीसीपी राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। अब तक 16 राज्यों ने चावल के लिए डीसीपी मोड अपनाया है और 9 राज्यों ने गेहूं के लिए डीसीपी मोड अपनाया है।

इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि 22 राज्यों से केएमएस 2019-20 में 519.97 लाख टन चावल की खरीद की गई थी, जिसमें से 16 राज्यों से 519.03 लाख टन चावल की खरीद की गई थी। इन 16 राज्यों में से, 12 राज्यों ने डीसीपी प्रणाली के तहत चावल की खरीद की।

इसी प्रकार, 10 राज्यों से आरएमएस 2020-21 में 389.93 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी, जिसमें से 8 राज्यों से 389.78 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। इन 8 राज्यों में से, 6 राज्यों ने डीसीपी प्रणाली के तहत गेहूं की खरीद की थी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.7 देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 4.22)

2.3 समिति पाती है कि एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी खाद्य राजसहायता की राशि लगातार बढ़ रही है। खाद्य राजसहायता में वृद्धि को गेहूँ और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की तुलना में केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी), टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्नों का अधिक उठाव और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। समिति, खाद्य राजसहायता को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों यथा खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण को प्रोत्साहित करना, कम कूपन दरों पर एफसीआई द्वारा सरकार द्वारा समर्थित बॉड जारी करना, खाद्य ऋण के संघ के बैंकों के साथ मोल भाव करना, एफसीआई के प्रचालनों में समग्र लागत प्रभावकारिता लाना आदि की सराहना करती है। अत: समिति यह चाहती है कि विभाग द्वारा खाद्य राजसहायता के बिल में वृद्धि को रोकने के लिए और अधिक कड़े प्रयास किए जाएं।

सरकार का उत्तर

2.4 यह विभाग खाद्य राजसहायता में वृद्धि को रोकने की आवश्यकता से पूर्णत: अवगत है और इस संबंध में नियमित प्रयास कर रहा है। सरकार ने खाद्य राजसहायता को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद और वितरण को प्रोत्साहित करना।
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम कूपन दरों पर सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित बांड जारी करना।
- नकद ऋण पर ब्याज दर को कम करने के लिए खाद्य ऋण संघ के बैंकों के साथ बातचीत करना।

- भारतीय खाद्य निगम के प्रचालन को समग्र रूप से किफायती बनाना।
- खुला बाजार बिक्री योजना के तहत अधिक परिसमापन के माध्यम से अधिशेष खाद्यान्नों के स्टॉक के स्तर में कमी लाना और बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खरीद को अनुकूल बनाना।
- इसके अलावा, विभाग ने भारत सरकार के ब्याज बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा खरीद एजेंसियों के लिए सीसीएल पर ब्याज लागत बचाने के लिए राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों को एमएसपी के अग्रिम भुगतान के लिए एक प्रस्ताव भी शुरू किया है।
- वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 5,29,690.77 करोड़ रुपये (भारतीय खाद्य निगम के लिए 4,62,789.00 करोड़ रुपये और डीसीपी राज्यों को 66,901.77 करोड़ रुपये) की अभी तक की सर्वाधिक खाद्य राजसहायता जारी की गई। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम के सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है। इससे भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज में काफी कमी होगी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

सिफारिश (पैरा सं. 4.29)

2.5 समिति नोट करती है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यकरण में किए गए सुधारों को बनाए रखने के लिए विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन' (आईएम-पीडीएस) आरंभ किया है। 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओनईआरसी) की योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न के संवितरण में राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी आरंभ करना है, अर्थात् एनएफएसए के तहत कवर पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के बाद देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य दुकानों (एफपीएस) से अपने हकदार के खाद्यान्न को प्राप्त कर सकेंगे । अब तक 32 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ग्रिड में शामिल हो चुके हैं। तथापि, समिति नोट करके चिंतित है कि असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में ई-पीओएस पर कोई एफपीएस चालू नहीं है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य जिसने पहले ही शत-प्रतिशत एफपीएस स्वचालन प्राप्त कर लिया है, उसने बायोमेट्रिक लेनदेन शुरू

नहीं किया है। समिति चाहती है कि असम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आधार सीडिंग और एफपीएस स्वचालन के मुद्दे का सर्वोच्च स्तर पर समाधान किया जाए ताकि ऐसे राज्यों में सभी प्रवासी लाभार्थियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य जल्द से शीघ्रातिशीध्र ओनओआरसी योजना के तहत साकार किया जा सके।

सरकार का उत्तर

2.6 यह उल्लेख किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने जनवरी, 2018 में सभी उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण स्थापित करने का काम पूरा कर लिया था। बाद में कुछ माह के लिए लाभार्थियों के बायोमैट्रिक/आधार प्रमाणन सहित इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण को सफलता पूर्वक चलाने के उपरांत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अपने प्रचालनों में तकनीकी (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) की समस्याओं का उल्लेख करते हुए अप्रैल, 2018 में सभी उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण के उपयोग को निलंबित कर दिया था। इसके उपरांत से यह विभाग नियमित बैठकें/वीसी, सभी स्तरों पर पत्र/अ.शा. पत्र भेजने आदि के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ खाद्यान्नों के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण आधारित वितरण को बहाल करने के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। इस विभाग ने यह उनके सिस्टम इंटिग्रेटर/वेंडर के साथ समन्वय करने के अलावा उनके हार्डवेयर और साफ्टवेयर संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय एनआईसी के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता भी प्रदान की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए नए इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण की आपूर्ति की जाए। इन सतत प्रयासों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने हाल में इस विभाग को सूचित किया है कि कुछ उचित दर दुकानों में पायलट आधार पर इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल आधारित वितरण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से औपचारिक सूचना और कार्य योजना प्राप्त होनी है।

पश्चिम बंगाल में, सभी उचित दर दुकानों पर पहले ही इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण लगा दिए गए हैं लेकिन जहां तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का संबंध है लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणन बहुत कम (एक प्रतिशत से कम) है। यह विभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल पर लगातार जोर दे रहा है कि वह अपने प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू करे लेकिन राज्य ने एक राष्ट्र,

एक राशन कार्ड लागू करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणन के संबंध में काम नहीं कर रहा है। राज्य आधार आधारित बायोंमेट्रिक प्रमाणन और एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू करने के लिए इन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरणों को बदल रहा है। इन सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य ने सूचित किया है कि अगले कुछ माह में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल उपकरण को बदले जाने की संभावना है और इसके बाद सभी उचित दर दुकानों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सुविधा लागू हो जाएगी।

जहां तक राशन कार्डों की आधार सीडिंग का संबंध है, उल्लेख किया जाता है कि राज्ष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन 92% से अधिक राशन कार्डों की आधार सीडिंग कर दी गई है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ सहित 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 99% से 100% सीडिंग कर दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 8% से कम का आधार सीडिंग का अंतर मुख्य रूप से बहुत कम आधार बनाए जाने के कारण है और असम तथा मेघालय में फिलहाल क्रमशः लगभग 18% और 16.5 % सीडिंग हुई है। इस संबंध में यह विभाग यूआईडीएआई और राज्य सरकारों पर लगातार जोर दे रहा है कि लोगों के आधार नामांकन/सृजन में तेजी लाएं और इसके बाद राशन कार्डों के साथ आधार सीडिंग बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त विभाग राशन कार्डों की आधार सीडिंग को शीघ्र पूर्ण करने के लिए पश्चिम बंगाल सहित सभी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (राशन कार्ड में 80% आधार सीडिंग वाले) पर लगातार जोर दे रहा है।

इसके अलावा यह उल्लेख किया जाता है कि अब तक अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों सहित 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है, जिसमें देश में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (86% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी) कवर की जा रही है और फिलहाल मासिक आधार पर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अधीन महत्वपूर्ण रूप से पोर्टेबिलिटी लेनदेन (राज्य के भीतर और अंतर-राज्य) रिकार्ड किए जा रहे हैं। यह विभाग शेष चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) के एकीकरण के लिए गहन प्रयास कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी तैयारियों पर निर्भर करते हुए अगले कुछ माह में एकीकरण करने का लक्ष्य है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.10 देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 5.6)

2. 7समिति नोट करके चिंतित है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा भुगतान के आधार पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन्हें उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष बकाया राशि 2454.03 करोड़ रुपये है । समिति को सूचित किया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय :के विरूद्ध बकाया राशि क्रमश (एचआरडी)306.26 करोड़ रुपये और विदेश मंत्रालय के विरुद्ध बकाया राशि 67.92 करोड़ रुपये है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मामले में मंत्रालय द्वारा देय राशि के लिए 400 करोड़ रुपये का 'रिवाल्विंग फंड' उपलब्ध कराया गया । समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसमें मंत्रालयों को भुगतान करना होता है अर्थात्) जबकि (योजना के तहत ग्रामीण रोजगार योजना योजना के लिए (एसजीआरवाई) संपूर्ण ग्रामीण योजना योजना में भुग (एमडीएम) मध्याह्न भोजनतान की विकेंद्रीकृत योजना के तहत बाद के महीनों में बिल जमा करने के बाद भुगतान करने के लिए 20 दिन की समय सीमा होती है लेकिन इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है । समिति-पाती है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस मामले को संबंधित मंत्रालयों के साथ लगातार उठा रहा है लेकिन पिछले अनेक वर्षों से भारी राशि अभी भी बकाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखते हुए कि भारतीय खाद्य निगम की स्वयं एक बड़ी ऋण देयता है और उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, समिति इस गंभीर चिंता पर ध्यान देती है जिससे खाद्य सब्सिडी बिल बढ़ जाता है । समिति एक बार पुनभारतीय खाद्य निगम से आग्रह करती है कि वह समयबद्ध तरीके से ग्रामीण /विभाग : विकास, मानव संसाधन विकास और विदेश मंत्रालयों के साथ बकाया राशि के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि लगातार बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल पर अनावश्यक बोझ डालने से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

2.8 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम द्वारा एफसीआई की बकाया देयताओं को समाप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ दिनांक 25.07.2018 और 28.12.2018 को बैठक आयोजित की हैं और इन

विभागों को दिनांक 17.01.2019, 11.02.2019, 28.03.2019, 05.07.2019 और 17.11.2020 के पत्र के माध्यम से बकाया देयताओं के भुगतान में तेजी लाने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 06.05.2021 के पत्र के जरिए विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं का शीघ्र भुगतान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है। संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध करते समय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत छठी और सातवीं रिपोर्ट में संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस मामले पर चिंता व्यक्त है।

भारतीय खाद्य निगम की बकाया देयताओं की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.03.21 की स्थिति के अनुसार):

मंत्रालय	**राशि (करोड़ में)**	**मद**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	2454.03*	वर्ष 2001-02 से 07-08 के दौरान एसजीआरवाई स्कीम के अंतर्गत खाद्यान्न जारी करना
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	255.45	मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएस) के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति
विदेश मंत्रालय	60.43	वर्ष 2004-2012 के दौरान अफगानिस्तान को बिस्कुटों की आपूर्ति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम को गेहूं जारी करना
केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे एसटीसी, बीएसएनएल, पीईसी, एमएमटीसी	271.92	बीएसएनएल को टॉवर किराए पर देना, नेफेड आदि को तूर दाल जारी करना
महाराष्ट्र, त्रिपुरा जैसे राज्य सरकार	206.55	पूर्वोत्तर क्षेत्र को खाद्यान्न
रक्षा मंत्रालय	0.42	रक्षा के लिए खाद्यान्न
योग	3248.80	

* ग्रामीण विकास मंत्रालय स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आपूर्ति करने के लिए 221.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, जिसका भुगतान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधे ही किया जाना है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.13 देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 5.33)

2.9 समिति यह नोट करती है कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बावजूद भंडारण और परिवहन में नुकसान अभी भी बहुत अधिक अर्थात क्रमश: 95.78 करोड़ रुपये और 362.94 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2020 तक) है । समिति महसूस करती है कि भंडारण हानि के मुद्दे पर सरकार की ओर से नियमित निगरानी के साथ-साथ फील्ड में तकनीकी कर्मचारियों को तैनात किए जाने वाले की आवश्यकता होती है। समिति की राय में भंडारण हानि को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। नुकसान में और वृद्धि न हो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है । समिति महसूस करती है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाद्य सब्सिडी पर भारतीय खाद्य निगम भारी राशि खर्च कर रहा है और उन्हें अनौचित्यपूर्ण नुकसान के लिए जवाबदेही से बचने का अवसर नहीं देना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम को परिचालन हानि और अन्य ओवरहेड्स को नियंत्रित करके परिचालन लागत को कम करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। समिति की इच्छा है कि नुकसान को कम करने के लिए जोरदार प्रयास किए जाएं ताकि निर्धनतम लोगों के लिए निर्धारित धनराशि वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचे और खाद्य सब्सिडी बिल को और बढ़ने से रोका जा सके ।

सरकार का उत्तर

2.10 **भंडारण हानिः**

अप्रैल से दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए भंडारण हानि का आंकड़ा -95.78 करोड़ रुपये था, जो वास्तव में समूची भार वृद्धि है और यह हानि नहीं है क्योंकि (-) आंकड़ा भार वृद्धि दर्शाता है। इसके

अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि समूची हानियां (वास्तव में भार वृद्धि) वृद्धि का रुझान दर्शा रही हैं जिसे पिछले चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और धान) के लिए भंडारण हानियों के ब्यौरों से देखा जा सकता है। जो नीचे सारणी में दिए गए हैः-

वर्ष	जारी की गई मात्रा (लाख टन में)	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि का %	हानि का मूल्य (करोड़ रूपए में)
2017-18*	913.30	-1.10	-0.12	-140.76
2018-19*	918.12	-1.31	-0.14	-175.97
2019-20*	868.50	-1.17	-0.14	-171.37
2020-21** (मार्च, 21 तक)	1193.03	-1.45	-0.12	-226.55

1 *लेखापरिक्षित आंकड़े दर्शाता है और ** अनंतिम आंकड़े दर्शाता है।

2 (-) घटा का चिन्ह भार वृद्धि दर्शाता है, कीमत की गणना 2220.75 रुपये प्रति क्विंटल (गेहूँ) और 3162.73 रुपये प्रति क्विंटल (चावल) की दर पर 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए अधिग्रहण लागत पर की गई है।

यह भी देखा जा सकता है कि यद्यपि 2020-21 के दौरान समूची अन्तिम भंडारण भार वृद्धि 0.12% है लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए विशेष आवंटनों के अधीन निपटान की अधिक मात्रा के कारण कीमत अधिक है।

मार्गस्थ हानियां

इसी प्रकार मार्गस्थ हानियों के मामले में सुधार का रुझान भी है और प्रतिशत के रूप में समूची हानियों में गिरावट आ रही है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान मार्गस्थ हानियां की अधिक कीमत कोविड-19 महामारी को देखते हुए बढ़ाए गए विशेष आवंटनों की आवश्यकता पूरी करने और खरीद वाले क्षेत्रों में नई खरीद को रखने/भंडारण करने के लिए पहले खरीदे गए अधिशेष स्टॉक को हटाने के लिए भी अधिक मात्रा में संचलन करने के कारण है। पिछले 4 वर्ष के लिए मार्गस्थ हानियों का रुझान निम्नानुसार हैः-

वर्ष	भेजी गई मात्रा (लाख टन में)	हानि की मात्रा (लाख टन में)	हानि का %	हानि का मूल्य (करोड़ रूपए में)
2017-18*	456.72	1.12	0.25	286.40
2018-19*	414.99	1.03	0.25	276.85
2019-20*	409.58	0.94	0.23	257.92
2020-21** (मार्च, 21 तक)	538.55	1.50	0.28	431.23

1 *लेखापरिक्षित आंकड़े दर्शाता है और ** रेल मार्गस्थ हानियों के अनंतिम आंकड़े दर्शाता है।

2 कीमत की गणना 2220.75 रुपये प्रति क्विंटल (गेहूँ) और 3162.73 रुपये प्रति क्विंटल (चावल) की दर पर 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए अधिग्रहण लागत पर की गई है।

भंडारण और मार्गस्थ हानियां नियंत्रित करने के लिए कृत कार्रवाईः

प्रत्येक मासिक कार्य निष्पादन समीक्षा बैठकों में भंडारण और मार्गस्थ हानियों की स्थिति की समीक्षा की जाती है और कार्यकारी निदेशको द्वारा मुख्यालय/आंचलिक स्तर पर तथा महाप्रबंधकों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। तदनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को अनुदेश दिए जाते हैं कि अधिक भंडारण और मार्गस्थ हानियों के मामलों को दर्शाने वाले डिपुओं के निरीक्षणों में तेजी लाएं और अनुचित हानियों के लिए चूककर्ताओं के अनुसार कार्रवाई करें।

इसके अलावा भंडारण और मार्गस्थ हानियों को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैः-

(क) भंडारण हानियों को नियंत्रित/न्यूनतम करने हेतु उठाए गए कदम:

- स्टॉक का आवधिक रोगनिरोधक और रोगहर उपचार किया जाता है, जैसे कि निर्धारित किया गया हो और समय-समय पर मानसून पूर्व प्रधुमन किया जाता है।
- खरीद के समय खाद्यान्नों की उचित गुणवत्तता जांच सुनिश्चित की जाती है।

- गोदामों को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री दीवारों को कंटीले तारों की बाड़ लगाना, गोदामों की रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइटों का प्रावधान व शेड की उचित लॉकिंग जैसे भौतिक उपाय किए जाते हैं।

- निगरानी और बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी एफसीआई के स्वामित्व वाले डिपुओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

- भारतीय खाद्य निगम का सिक्योरिटी स्टाफ, होमगार्ड, डीजीआर प्रायोजित एजेंसी और विशेष पुलिस अधिकारी और राज्य सशस्त्र पुलिस स्टाक की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती हैं।

- सुरक्षा त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर डिपुओं के सुरक्षा निरीक्षण और औचक जांच की जाती है।

- जहां कहीं अनुचित हानि पाई जाती है, चूक कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

मार्गस्थ हानियों को नियंत्रित/न्यूनतम करने हेतु उठाए गए कदम:

- मार्गस्थ हानियों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु प्रवृत्ति की निकटता से निगरानी करने और प्रभावी कदम उठाने के लिए संबंधिक कार्यकारी निदेशक (आंचल)/महा प्रबंधक (क्षेत्र) के साथ यह मामला निरंतर उठाया जा रहा है और अधिक मार्गस्थ हानियों को दर्शाने वाले डिपुओं की गहन निगरानी करके उनमें कमी लायी जाती है।
- बिखरे हुए अनाजों की पुनः प्राप्ति के लिए रेलवे के वैगनों के फर्श पर पोलीथीन की शीट बिछाना शुरू किया गया है ताकि परिवहन के दौरान बिखराव के कारण होने वाले हानि को न्यूनतम किया जा सके।
- अधिक मार्गस्थ हानियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए अधिक मार्गस्थानियों के संयुक्त निरीक्षण के बारे में 'एसओपी' लागू किया गया है।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन जांच किए जाने हेतु पारेषण और प्राप्ति केन्द्रों पर संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाती है।
- चयनित रेलहेड तथा गंतव्य/प्रेषण केन्द्रों पर विशेष दस्ते द्वारा जांच की जा रही है।

- रेकों के लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय स्वतंत्र पारेषण प्रमाणन दस्ते (आईसीसीएस) का तैनाती की जा रही है।
- स्टॉक की प्राप्ति तथा जारी करते समय इसका उचित वजन तथा भार सुनिश्चित किया जाता है।
- जब भी असामान्य/अनौचित्यपूर्ण परिवहन हानि सूचित की जाती है तो दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.19 देखें)

सिफारिश (पैरा सं. 6.8)

2.11 समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि देश चीनी मौसम 2016-17 को छोड़कर चीनी मौसम 2010-11 से घरेलू आवश्यकता से अधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में सूखे के कारण उत्पादन मांग से कम रहा। समिति ने यह भी नोट किया कि गन्ने की उन्नत किस्म के कारण आगामी वर्ष में चीनी/गन्ने का उत्पादन अधिशेष रहने की संभावना है। समिति आशा करती है कि विभाग गन्ना किसानों को समय पर और पर्याप्त, उचित तथा लाभकारी मूल्य घोषित कर गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सभी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ईमानदार प्रयास करेगा ताकि वे गन्ने की फसल की खेती करते रहें जिससे कि संभावित निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

सरकार का उत्तर

2.12 अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

सिफारिश (पैरा सं. 6.14)

2.13 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि आज की तारीख में, कुल 19258 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य बकाया है जिसमें 2020-21 चीनी मौसम के लिए 16883 करोड़ रुपये, 2019-20 चीनी मौसम के लिए 1766 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 410 करोड़ रुपये और चीनी मौसम के लिए 199 करोड़ रुपये और 2017-18 तथा इससे पहले के मौसम के लिए 199 करोड़ रुपये शामिल हैं। समिति नोट करती है कि हालांकि किसानों द्वारा गन्ने की आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान किया जाना आवश्यक है, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। चीनी मौसम 2017-18 और उससे पूर्व का बकाया गन्ना मूल्य अभी भी बकाया है, फिर भी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के प्रावधान के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज दर सहित गन्ना बकाया की वसूली के लिए चीनी मिलों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गन्ना मूल्य बकाया को कम करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं जैसे कि 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत इथेनॉल आदि को मिलाने के, लेकिन काफी अधिक राशि अभी भी लंबित हैं। अत; समिति खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से पुरजोर आग्रह करती है कि वह राज्य सरकार को मनाए कि वह सभी बकाया गन्ना मूल्य बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करे ताकि गन्ने कि खेती कम न हो जिससे कि सरकार को आयात का सहारा नहीं लेना पड़े और भविष्य में विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोका जा सके ।

सरकार का उत्तर

2.14 दिनांक 14.06.2021 की स्थिति के अनुसार, किसानों को भुगतान के लिए 18367 करोड़ रूपए गन्ना बकाया मूल्य देय है। इस राशि में, चीनी मौसम 2020-21 के लिए 15869 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2019-20 के लिए 213 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2018-19 के लिए 403 करोड़ रूपए, चीनी मौसम 2017-18 के लिए 193 करोड़ रूपए और 2016-17 तथा पूर्व के चीनी मौसमों के लिए 1689 करोड़ रूपए शामिल हैं।

चीनी मिलों की नकदी की स्थिति को सुधारने और किसानों को गन्ना बकाया देयता का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए, केन्द्र सरकार ने पिछले दो चीनी मौसमों और मौजूदा चीनी मौसम के दौरान विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, किसानों के अखिल भारतीय गन्ना बकाया मूल्यों में कमी आई है। पिछले दो चीनी मौसमों के लिए भुगतान किए जाने वाले गन्ना बकाया, भुगतान की गई देयताओं और बकाया की स्थिति निम्नानुसार है:-

करोड़ रूपए में

	चीनी मौसम 2018-19	**चीनी मौसम 2019-20**
भुगतान के लिए गन्ना देयता	86723	75845
भुगतान की गई देयता	86320	75632
गन्ना बकाया	403	213

इसके अतिरिक्त, सरकार समय-समय पर राज्यों के साथ बातचीत कर रही है ताकि किसानों की गन्ना देयताओं का निपटान करने के प्रयास किए जा सकें, क्योंकि गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियां पहले ही राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और वे चूककर्ता चीनी मिलों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.22 देखें)

अध्याय तीन

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

सिफारिश (पैरा सं. 4.13)

3.1 समिति नोट करती है कि समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर सरकार ने विहित तीन माह की अवधि के भीतर दे दिए थे और निदेश 73-क के अधीन मंत्री द्वारा वक्तव्य राज्य सभा में 23.09.2020 को दे दिया गया था। कोविड-19 के कारण सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण लोकसभा में मंत्री का वक्तव्य नहीं दिया जा सका और बाद में इसे लोकसभा में 09-02-2021 को दिया गया। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के विश्लेषण से पता चलता है कि समिति की 80% सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। समिति 20% सिफारिशों के संबंध में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती। समिति को आशा और विश्वास है कि विभाग भविष्य में भी निर्धारित पूर्वापेक्षाओं का अक्षरश: अनुपालन करे तथा समिति को सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में जिन पर समिति ने टिप्पणी दी जानकारी देगा।

सरकार का उत्तर

3.2 अनुपालनार्थ नोट कर लिया गया है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

सिफारिश (पैरा सं. 3.3)

3.3 समिति नोट करती है कि 2020-21 के दौरान राजस्व योजना/कार्यकलाप हेतु बजट अनुमान 121038.41 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 437458.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन 11.03.2021 को वास्तविक व्यय केवल 254150.67 करोड़ रुपए ही था। समिति यह भी नोट करती है कि 2020-21 के दौरान पूंजी योजना/कार्यकलाप हेतु ब.अ. 51197.02 करोड़ रुपए था पर इसे संशोधित अनुमान स्तर पर कम करके 11190.72 करोड़ रुपए कर दिया गया। किंतु वास्तविक अनुमान 11.03.2021 तक इससे भी कम रहे अर्थात् 11156.94 करोड़ रुपए था। समिति पाती है कि राजस्व

स्कीम/कार्यकलाप में आवंटन को संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाया गया था ताकि इसके लिए अधिक निधियों को उपयोग किया जा सके। समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि राजस्व और पूँजी दोनों ही स्कीमों में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से कम रहा है। समिति का मत है कि इससे पता चलता है कि विभिन्न स्कीमों पर विभाग की उचित निगरानी और समन्वय की कमी रही है। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रालय ने इन स्कीमों के कार्यान्वयन में आ रही विविध कठिनाइयों को भी बताया यथा राज्य सरकार द्वारा भूमि को चिह्नित करना और अधिग्रहण, दुर्गम भू-भाग, कठोर मौसम, कानून और व्यवस्था की समस्याएं आदि। विभाग ने और भी कुछ समस्याएं बताई हैं जिनके कारण चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल) ने अब तक राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी ग्रिड से जुडे नहीं है जैसे कि उचित दर दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों का संस्थापन, बायोमीट्रीक प्रमाणन आदि हेतु ई-पीओएस उपकरणों की असंगतता आदि। हालांकि, समिति, वास्तविक व्यय में कमी के लिए इन कारकों को उत्तरदायी ठहराने वाले मंत्रालय के तर्क से सहमत नहीं है। यह प्रतीत होता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित आयोजना और समन्वय की कमी है। समिति महसूस करती है कि विभाग ने पिछले अनेक वर्षों से अपने निगरानी तंत्र में सुधार नहीं किया है। अत:, जहां तक 2020-21 के दौरान व्यय का संबंध है समिति विभाग के समग्र कार्यनिष्पादन से संतुष्ट नहीं है। अत: समिति चाहती है कि विभाग प्रस्ताव/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मनाए और साथ ही विभाग अपनी आयोजना और निगरानी प्रणाली को सुधारे ताकि आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अनुरूप समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि सभी योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अपनी निगरानी और सुदृढ़ करने के लिए पूर्णरूपेण प्रयास करे और उनका समय पर पूरा होना सुनिश्चित करे।

सरकार का उत्तर

3.4 विभाग प्रावधान के अनुमानों को वास्तविक बनाने के अत्यंत प्रयास करता है। समिति के नोट में दर्शाए गए व्यय के आंकड़े 11.03.2021 की स्थिति के अनुसार हैं। तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार राजस्व खंड के अधीन वास्तविक खर्च 554245.14 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान 121038.41 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 437458.00 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खंड के अधीन वास्तविक खर्च 11188.51 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान 51197.02 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 11190.72 करोड़ रुपये था।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है राजस्व खंड के अधीन व्यय बजट अनुमान /संशोधित अनुमान 2020-21 में आवंटित निधियों से भी अधिक (100% से अधिक) था। जो भारतीय खाद्य निगम के लिए स्वीकृत एऩएसएसएफ ऋण के पूर्ण भुगतान के प्रति संशोधित अनुमान 2020-21 के अलावा 118712 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा प्राप्त निदेश के कारण हुआ था।

जहां तक पूंजीगत खंड के अधीन संशोधित अनुमान 2020-21 में प्रावधान में कमी करने और कम खर्च भी होने का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि यह कमी मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2020-21 के प्रति अर्थोपाय अग्रिम के 40000 करोड़ रुपये उपलब्ध न होने के कारण हुई थी। यह इस तथ्य के कारण हुआ था कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आम तौर पर अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग भारतीय खाद्य निगम को प्रदान की गई खाद्य राजसहायता के पूर्णतः समाप्त होने के बाद किया जाता है। तथापि, बजट अनुमान 2020-21 में मांग से कम खाद्य राजसहायता का आवंटन होने और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्म-निर्भर पैकेज के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने की वजह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा मई 2020 में ही 10000 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम हासिल कर लिया गया था। बाद में वित्त मंत्रालय ने संशोधित अनुमान 2020-21 में 'भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्य राजसहायता' स्कीम के अधीन पर्याप्त राशि प्रदान की थी जिसे 2020-21 की अनुदान की दूसरी अनुपूरक मांगों के जरिए पूरा किया गया था अतः भारतीय खाद्य निगम के लिए अर्थोपाय अग्रिम की कोई और आवश्यकता नहीं बची थी। यहां यह उल्लेख करना तर्कसंगत है कि अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष के अंदर की जाने की बाध्यता है, इसलिए यह बजट निष्क्रिय है।

पूंजीगत खंड में संशोधित अनुमान 2020-21 में 11190.72 करोड़ रुपये के प्रावधान में से 11188.51 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था और केवल 2.21 करोड़ रुपये शेष थे जो संशोधित अनुमान 2020-21 का केवल 0.02% बैठता है और नगण्य है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह कहना उचित नहीं है कि विभाग में विभिन्न स्कीमों की उचित निगरानी और समन्वय करने की कमी है।

इसके अलावा यह सत्य है कि विभाग स्कीमों के साथ जुड़ी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर होने के कारण कुछ स्कीमों के क्रियान्वयन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैः-

यह विभाग केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन" क्रियान्वित कर रहा है! इस स्कीम के अधीन बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2020-21 के दौरान 25.00 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। तथापि विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, एनआईसी, एनआईसीएसआई आदि को निधियां जारी करने के लिए केवल 12.70 करोड़ रुपये के लिए मंजूरी जारी कर सका। उल्लेख किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां कुछ अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के बाद किस्तों में जारी की जाती है। वास्तविक व्यय में अंतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा कुछ अपेक्षित शर्तों को पूरा न करने के कारण है, जिन्होंने निधियां जारी करने के लिए स्कीम के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार अपने प्रस्ताव भेजे थे। यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से समझाता रहा है कि अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के साथ पूर्ण वित्तीय प्रस्ताव भेजें और समय से उपयोग प्रमाणपत्र भेजे।

इसके अलावा यह उल्लेख किया जाता है कि अब तक अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों सहित 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है, जिसमें देश में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (86% राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आबादी) कवर की जा रही है और फिलहाल मासिक आधार पर एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अधीन महत्वपूर्ण रूप से पोर्टेबिलिटी लेनदेन (राज्य के भीतर और अंतर-राज्य) रिकार्ड किए जा रहे हैं। यह विभाग शेष चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) के एकीकरण के लिए गहन प्रयास कर रहा है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की तकनीकी तैयारियों पर निर्भर करते हुए अगले कुछ माह में एकीकरण करने का लक्ष्य है।

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकारण के मामले में वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान को 16.36 करोड़ रुपये से कम करके 11.54 करोड़ रुपये कर दिया गया था और ऐसा कोविड-19 के कारण भांडागार पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की धीमी गति होने और इसके परिणामस्वरूप निरीक्षणों तथा भांडागार कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम संख्या होने के कारण हुआ था। कई राज्यों में कोविड-19 के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध था। इसके अलावा साफ्टवेयर उन्नयन परियोजना, जो 31 मार्च, 2021 से पहले पूर्ण होने की आशा थी, उसमें एक माह का विलंब हुआ है। अध्यक्ष का पद भी भरा नहीं गया था। भारतीय खाद्य निगम के संबंध में राज्य सरकारों से

समय से प्रस्ताव/उपयोग प्रमाणपत्र भेजने का अनुरोध किया जाता है। यह विभाग और भारतीय खाद्य निगम अक्सर सभी स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं और परियोजनाओं का समय से पूर्ण होना सुनिश्चित करते हैं।

इसके अतिरिक्त यह विभाग भूमि अधिग्रहण, समय से उपयोग प्रमाणपत्र भेजे जाने आदि जैसे समाधान न किए गए मुद्दों के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रगति की मॉनीटरिंग भी करता है। स्कीम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें भी की जा रही है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस विभाग को लंबित उपयोग प्रमाणपत्र सहित प्रस्ताव/दावे शीघ्र प्रस्तुत करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं और आशा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक संपूर्ण निधि का उपयोग कर लिया जाएगा।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

सिफारिश (पैरा सं. 5.12)

3.5 समिति पाती है कि 01.01.2021 तक कवर/स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता के लिए भारतीय खाद्य निगम की क्षमता का उपयोग 62 प्रतिशत है जबकि किराए पर/कवर भंडारण क्षमता 68 प्रतिशत है। कैप भंडारण के मामले में, स्वामित्व क्षमता उपयोग 10% है जबकि कैप किराए पर भंडारण का उपयोग 102% तक किया गया था। समिति, स्वामित्व क्षमता के कम उपयोग के लिए विभाग द्वारा उद्धृत कारणों पर विवाद नहीं करती है। वे कुछ हद तक सही हैं फिर भी समिति स्वामित्व/कवर/कैप भंडारण क्षमता के उपयोग के लिए इतने सकल को स्वीकार नहीं कर पा रही है। समिति का मानना है कि स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता उपयोग की उचित योजना और प्रबंधन से भंडारण क्षमता को किराए पर लेने पर भारी मात्रा में राजस्व की बचत होगी। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि विभाग/भारतीय खाद्य निगम को निजी पक्षकारों और अन्य एजेंसियों के गोदामों को किराए पर लेने से पहले स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। समिति यह भी इच्छा प्रकट करती है कि भंडारण क्षमता को तभी किराए पर लिया जाए जब यह नितांत आवश्यक हो और इसे कम से कम करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

3.6 प्रचालनात्मक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, जिसके अधीन भारतीय खाद्य निगम को काम करना पड़ता है, बीआईसीपी ने गोदामों की भंडारण क्षमता उपयोग मानक को 75 प्रतिशत निर्धारित किया है। हालांकि, भंडारण क्षमता को बेहतर उपयोगी बनाने और स्टॉक के उच्चतम स्तर पर विचार करते हुए, 80% की क्षमता को उपयोग मानक के अनुकूल माना गया है।

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम की स्वयं की कवर्ड क्षमता 127.03 लाख टन है जिसमें 81% का उपयोग किया गया है और किराए की कवर्ड क्षमता 89% है जिसकी उपयोग क्षमता 254.45 लाख टन है। कैप क्षमता के मामले में, स्वयं की 25.71 लाख टन क्षमता में से 8 प्रतिशत का उपयोग किया गया है और 96% के उपयोग के साथ किराए की कैप क्षमता 7.51 लाख टन है।

अलग-अलग समय पर स्टॉक के विभिन्न स्तरों के कारण उपयोग क्षमता महीने दर महीने बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष जून माह में रबी विपणन मौसम के अंत तक सबसे अधिक उपयोग किया गया है। कैप के मामले में भंडारण की इस पद्धति में अंतर्निहित कमी को देखते हुए कम उपयोग होना तय है क्योंकि कवर्ड भंडारण क्षमता उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है और वह भी केवल गेहूं के लिए। इसके अलावा, कैप में संग्रहीत स्टॉक को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक क्षमता को किराए पर लेने से पूर्व उसका अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जाता है और जब उनकी आवश्यकता नहीं होती है तो भंडारण क्षमता को डि-हायर किया जाता है। तथापि, गारंटी अवधि के दौरान गारंटी स्कीम के तहत किराए पर ली गई भंडारण क्षमता को डि-हायर नहीं किया जा सकता। भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसकी मौजूदा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया गया हो। आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएजी लेखापरीक्षा पर्याप्त जांच और बकाया की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपलब्ध भंडारण क्षमता का उचित उपयोग किया जा सके चाहे वह स्वयं की हो या किराए की और यह सुनिश्चित किया जा सके कि गोदामों को अनावश्यक रूप से किराए पर लेकर किराया प्रभारों के कारण कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालयों/ आंचलिक कार्यालयों/ भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा भंडारण

क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग की मानीटरिंग और समीक्षा भी की जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भंडारण क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा सके और भंडारण लागत को कम किया जा सके।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

सिफारिश (पैरा सं. 5.34)

3.7 समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 (दिसंबर, 2020 तक) के दौरान अनौचित्यपूर्ण परिवहन हानियों के लिए भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के खिलाफ शुरू किए गए मामलों की संख्या क्रमश: 153, 114 और 66 हैं और भंडारण नुकसान के लिए आंकड़े क्रमश 266, 258 और 201 (बड़े और छोटे अपराध) हैं। दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, अनुचित परिवहन और भंडारण हानि के लिए लंबित मामलों (मेजर और माइनर) की संख्या क्रमशः 11 और 35 है। अत: समिति सिफारिश करती है कि भारतीय खाद्य निगम को अपने मानक/निर्धारित दिशा-निर्देश/चेकलिस्ट तय करने चाहिए ताकि कर्मचारी खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरतें और सतर्क हो सकें जिससे सब्सिडी वाली वस्तुओं के रूप में खाद्यान्न के वितरण में पूरे समुदाय के लाभ के लिए कार्य करने वाले इस सार्वजनिक निगम को न्यूनतम नुकसान हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सभी लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निपटाने के लिए कदम उठाए जाएं।

सरकार का उत्तर

3.8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिदेश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम को एक वर्ष के भीतर दीर्घ शास्ति और छ: माह के भीतर लघु शास्ति के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही पर निर्णय देना होता है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, छ: माह से अधिक समय के लिए लघु शास्ति के अधीन अनुचित भंडारण हानि/ ट्रांजिट हानि के कोई मामले लंबित नहीं हैं और दीर्घ शास्ति के अधीन अनुचित भंडारण हानि/ ट्रांजिट हानि के कोई मामले नहीं है।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

-शून्य-

अध्याय पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके सम्बन्ध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

सिफारिश (पैरा सं. 5.25)

5.1 समिति यह नोट कर चिंतित है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020-21 (31.01.2021 तक) पूर्वोत्तर राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 मीट्रिक टन था लेकिन इस मामले में उपलब्धि शून्य थी। जहां तक वित्तीय लक्ष्य का संबंध है, यह 25 करोड़ रुपये था लेकिन इसकी उपलब्धि केवल 13.64 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के लिए वास्तविक लक्ष्य 6220 मीट्रिक टन था लेकिन इसकी उपलब्धि शून्य थी। वित्तीय लक्ष्य 15 करोड़ रुपये था लेकिन इसकी उपलब्धि केवल 3.07 करोड़ रुपये थी। समिति ने यह भी नोट किया कि जहां तक जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और लक्षद्वीप में गोदामों के निर्माण का संबंध है, केंद्रीय क्षेत्र योजना (2017-22) में, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को बढ़ाने/निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति यह भी पाती है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार द्वारा 13.75 एलएमटी साइलो का निर्माण पूरा किया गया है और 21.5 एलएमटी पर काम चल रहा है। समिति आशा करती है कि भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार निश्चित रूप से भविष्य में गोदामों/साइलो के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रोड मैप में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप को शामिल करेगी। समिति चाहती है कि विभाग/भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के संबंध में चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास करे। समिति की राय में इन राज्यों में पर्याप्त भंडारण क्षमता होना इन राज्यों के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उठाने के लिए पूर्व-अपेक्षित है। समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोदामों के निर्माण में भारतीय खाद्य निगम के समक्ष आने वाली समस्या को समझती है जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्र, बार-बार बंद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब मौसम के संबंध में लगातार बंद और मुद्दों के कारण होती है जिससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है । इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग इस मामले को उच्चतम स्तर पर राज्यों/केंद्रों के साथ उठाए ताकि गोदामों के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने से जुड़े हरेक मुद्दे का समाधान किया जाए जिससे भंडारण की समस्या को दूर किया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न भागों में मिनी गोदाम बनाए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम गोदामों के निर्माण के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। वर्ष 2020-21 के दौरान (दिनांक 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार) पूर्वोत्तर राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य 30020 टन था लेकिन इस संबंध में उपलब्धि शून्य थी। वर्ष 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर में 5 स्थानों पर गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। धेमाजी/आर्किपाथेर 20000 टन का कार्य 99% पूरा हो गया था और अप्रैल/मई 2021 में हस्तांतरित किए जाने की संभावना है। असम राज्य में चुनाव होने के कारण इसमें देरी हुई थी। जहां तक वित्तीय लक्ष्य का संबंध है, वह 25 करोड़ रूपए था परंतु दिनांक 31.03.2021 तक 29.70 करोड़ रूपए की उपलब्धि हुई थी।

इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान, पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों के लिए, वास्तविक लक्ष्य 6220 टन था परंतु उपलब्धि शून्य थी। वित्तीय लक्ष्य 15 करोड़ रूपए था पर दिनांक 31.03.2021 तक उपलब्धि केवल 4.98 करोड़ रूपए थी।

[उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
कार्यालय ज्ञापन संख्या जी-20017/05/2021-एसी दिनांक 16 जून, 2021]

समिति की टिप्पणियां

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा सं. 1.16 देखें)

नई दिल्ली;
01 दिसंबर, 2021
10 अग्रहायण 1943 (शक)

सुदीप बन्दोपाध्याय,
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट-I

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 01 दिसम्बर, 2021 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
3. श्री गिरीश भालचंद्र बापट
4. सुश्री देबश्री चौधरी
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री खगेन मुर्मु
7. श्री मितेष (आनंद) पटेल (बकाभाई)
8. श्रीमती कविता सिंह
9. श्री जी. सेल्वम
10. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
11. श्री राजमोहन उन्नीथन
12. श्री वी. वैथिलिंगम

राज्य सभा

13. श्री सतीश चंद्र दुबे
14. श्रीमती रूपा गांगुली
15. श्री रामजी

सचिवालय

1. श्री पवन कुमार - संयुक्त सचिव
2. डॉ. वत्सला जोशी - निदेशक

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जो निम्नवत में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए बुलाई गई थी: (i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगे(2021-22)संबंधी नौवां प्रतिवेदन(17वीं लोकसभा); XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया। सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने, सर्वसम्मति से उक्त की गई कार्रवाई प्रतिवेदन को बिना किसी संशोधन/परिवर्तन के स्वीकार किया और सभापति को मौखिक और परिणामी परिवर्तनों, यदि कोई है, को करने हेतु प्राधिकृत किया।

3. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

4. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

5. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

XXXXX प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है

परिशिष्ट-II

(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा सं. 4)

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2019-20) **के** नौवें **प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण ।**

(सत्रहवीं लोक सभा)

(एक) सिफारिशों की कुल संख्या 12

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है :
पैरा सं. 4.13, 4.22, 4.29, 5.6, 5.33, 6.8 और 6.14

(अध्याय-दो, कुल-7)
प्रतिशत – 58.34%

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती
पैरा सं. 1.4, 3.3, 5.12 और 5.34

(अध्याय-तीन, कुल-04)
प्रतिशत – 33.33%

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं
पैरा सं. शून्य

(अध्याय-चार, कुल- शून्य)
प्रतिशत – 0

(पांच) सिफारिशें/टिप्पणियाँ, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
पैरा सं. 5.25

(अध्याय-पांच, कुल- 1)
प्रतिशत – 8.33%